अध्याय II: सेज का निष्पादन और सामाजिक आर्थिक प्रभाव

2.1 सेज का निष्पादन

यद्यपि सेज का उद्देश्य और इसके निष्पादन पर फैक्ट सीट (डीओसी द्वारा प्रदत्त मार्च 2014-परिशिष्ट 2) में बड़े पैमाने पर रोजगार, निवेश, निर्यात और आर्थिक विकास का दावा किया गया, तथापि देश के आर्थिक विकास पर राष्ट्रीय डाटा बेस (परिशिष्ट 3) का ट्रेंड व्यापार, अवसंरचना, निवेश रोजगार आदि सेज के कार्य का कोई प्रभाव नहीं दर्शाते है।

वाणिज्य विभाग का परिणाम बजट दर्शाता था कि अवसंरचना के विकास के लिए सेज के पूंजी परिव्यय का निधियन 1 अप्रैल 2002 से डेवलपिंग एक्सपोर्ट इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड एलाइड ऐक्टिविटिज (एएसआईडीइ) के लिए राज्यों की सहायता के अन्तर्गत किया गया था। ₹ 3793 करोड़ का परिव्यय 11वीं पंच वर्षीय योजना (2007-12) के दौरान एएसआईडीई स्कीम के अन्तर्गत प्रदान किया गया था। ₹ 2050 करोड़ का व्यय 10वीं योजनावधि में किया गया और ₹ 3046 करोड़ का व्यय स्कीम के अन्तर्गत 11वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान किया गया (1 जनवरी 2013 तक)। तथापि, इसे सेज के परिव्यय अथवा देशी निवेश के अन्तर्गत नहीं दर्शाया गया है।

डीओसी ने एग्जिट बैठक (29 अप्रैल 2014) में बताया कि एएसआईडीई केवल सरकारी सेज को निधि देता है और यह अवसंरचना के विकास के तात्पर्य के लिए है। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया गया था कि सेज अधिनियम के 7 से 8 वर्ष पुराना होने पर भी देश के निर्यात में विकास के लिए योगदान किया और बहुत कम स्कीमें सेज की तरह अच्छी हैं और इसलिए स्कीम को इस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। संयुक्त सचिव, डीओसी ने जोर दिया कि भारतीय सेज की तुलना मौलिक अन्तर के कारण चीन में सेज के साथ नहीं की जा सकती।

डीजीएफटी ने आगे बताया कि सेज स्कीम को अप्रैल 2000 में लागू किया गया था ताकि निर्यात के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश एवं स्कीम की निरन्तरता और स्थिरता उपलब्ध कराई जा सके, सेज

अधिनियम को 2005 में अधिनियमित किया गया। स्कीम ने अवसंरचना निवेश, रोजगार और निर्यात में भारी विकास दर्शाया। निर्यात 2005 में ₹ 22,000 करोड़ की तुलना में 2014 में ₹ 4,25,000 करोड़ हो गया है, इसी प्रकार निवेश 2005 में ₹ 4000 करोड़ की तुलना में 2014 में ₹ 2,84,000 करोड़ था। इस समय 185 सेज प्रचालन में हैं जिनमें केवल सात केन्द्र सरकार के सेज हैं जो स्पष्टत: प्राइवेट सेज द्वारा पर्याप्त योगदान दर्शाते हैं।

संयुक्त वार्षिक विकास दर कृषि और विनिर्माण क्रियाकलाप में गिरावट और गत सात वर्षों में सेवा क्रियाकलाप में स्थिरता दर्शाती है। साथ साथ गत पांच वर्षों में प्रचालन और एसटीपी यूनिट निर्यात की संख्या में गिरावट लगभग 45 प्रतिशत तक थी।

निम्नलिखित पैरामीटर आर्थिक क्रियाकलाप इंगित करते थे:

- आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा जीडीपी
- आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा घटक आय
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद
- औद्योगिक उत्पादन

निम्नलिखित पैरामीटर रोजगार दर्शाते थे:

- श्रमबल और श्रमबल भागीदारी दर
- बेरोजगार का अनुमान

निम्नलिखित पैरामीटर निवेश दर्शाते थे:

- सकल पूंजी संरचना
- निवल पूंजी स्टाक
- पूंजी निवेश अन्तर्प्रवाह

निम्नलिखित पैरामीटर व्यापार दर्शाते है:

- विदेशी व्यापार
- विदेशी व्यापार की शर्तें

औसतन 15 प्रतिशत निर्यात डीटीए में बेचे गए थे और यह देखा गया था कि धीरे धीरे धनात्मक एनएफई के लिए गणना न की गई बिक्री धनात्मक एनएफई के लिए गणना की गई डीटीए बिक्री के मूल्य के बराबर पहुंच गया।

यद्यपि, अधिकांश निवेश और रोजगार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेज में

प्राइवेट सेक्टर में हैं, फिर भी वृहत आर्थिक संकेतक ट्रेंड ग्रोथ में परिवर्तन नहीं दर्शाते थे जो डीटीए, एसटीपी से सेज को पूंजी और श्रम का विपथन दर्शाते हैं।

2.2 सामाजिक आर्थिक प्रभाव

सेज अधिनियम, 2005 के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, निवेश को बढ़ावा देना (प्राइवेट और विदेशी दोनों) और वैश्विक निर्यात में भारत के भाग को बढ़ाना हैं। इस सेक्शन में हम समीक्षा करते है कि क्या चयनित राज्यों और सेज मे सेज डेवलपर/यूनिटें उनके परियोजना प्रस्तावों में यथा परिकल्पित सामाजिक और आर्थिक योगदान करने में समर्थ हुए हैं।

एमओसी एवं आई ने विभिन्न आपरेटिंग सेज द्वारा वर्षानुवर्ष दर्ज किए गए रोजगार के आधार पर निष्पादन की माप की। सेज पर फैक्ट शीट के अनुसार 2006 और 2012 के बीच रोजगार, निवेश और निर्यात में क्रमश: 4692 प्रतिशत, 1679 प्रतिशत और 1276 प्रतिशत का विकास दर्ज हुआ। तथापि, यह देश में सेज के निष्पादन की पूर्ण तस्वीर नहीं दर्शाती है। दृष्टांत स्वरूप देश में 17 सेज[6] ने रोजगार का 14.16 प्रतिशत निवेश का 40.49 प्रतिशत और निर्यात का 51.10 प्रतिशत का योगदान किया और उसी समय वृहत संकेतन पिछले 7-8 वर्षों ट्रेंड ग्रोथ में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाते हैं जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में सूचित किया गया।

इसलिए,एक अलग पहुंच अपनाई गई थी, जिसमें अपने आवेदनों में डेवलपर्स/यूनिट धारकों द्वारा किए गए अनुमानों और बीओए/यूएसी द्वारा स्वीकृत की तुलना वास्तविक आंकड़ों से की गई थी जो समय समय पर उनके एपीआर्स से प्रदर्शित की गई।

इन परिणामों का उपयोग करके स्कीम की सामाजिक उपलब्धि यथा सृजित रोजगार और स्कीम का आर्थिक उद्देश्य यथा निवेश, एनएफई प्रास्थिति और निर्यात की उपलब्धि के अनुसार भारत में सेज के निष्पादन का अनुमान किया गया है।

---

[6] इनमें से दो सेज सेज अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के पूर्व अस्तिव में थे।

सामाजिक प्रभाव

2.2.1 रोजगार

सेज अधिनियम की धारा 5 के अनुसार सेज अधिनियम का एक उद्देश्य रोजगार का सृजन अर्थात कुशल और अकुशल श्रम दोनों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार था।

हमने सेज के लिए आवेदन करते समय डेवलपर्स/यूनिटों द्वारा प्रस्तुत फार्म-ए में उनके द्वारा किए गए अनुमानों के साथ उनके मॉनीटरिंग तंत्र के भाग के रूप में संबंधित डीसी को डेवलपर्स/यूनिटों द्वारा प्रस्तुत क्यूपीआर/एचपीआर/एपीआर से डेवलपर्स द्वारा प्रदत्त रोजगार की सांख्यिकी की तुलना की। यह तुलना केवल उन डेवलपर्स तक समिति थी जहां उनकी अधिसूचना के पांच वर्षों के बाद भी नोटिस हुआ था (मार्च 2013 को)।

यह ज्ञात हुआ कि 12 राज्यों में चयनित 117 डेवलपर्स/यूनिट में डेवलपर्स/यूनिटों द्वारा किए गए अनुमानों (39,17,677) की तुलना में वास्तविक रोजगार (2,84,785) 93 प्रतिशत तक (पूर्ण संख्या 36,32,892 होने पर) व्यय हो गया था। इस कमी में राज्यवार योगदान नीचे दर्शाया गया है:

राज्य	डेवलपर्स/ यूनिटों की संख्या	रोजगार (लोगों की संख्या)			कमी (%)
		अनुमानित	वास्तविक	अन्तर	
आन्ध्र प्रदेश	33	16,78,945	1,13,780	15,65,165	93.22
महाराष्ट्र	19	5,06,242	34,999	4,71,243	93.08
तमिलनाडु	5	50,647	10,470	40,177	79.32
केरल	4	8,551	1,545	7,006	81.93
कर्नाटक	10	2,08,875	44,483	1,64,392	78.70
ओडिसा	2	5,200	1,688	3,512	67.54
गुजरात	12	12,47,077	42,650	12,04,427	96.58
राजस्थान	2	40,000	8000	32000	80.00
पश्चिम बंगाल	8	1,58,550	22,742	1,35,808	85.65
उत्तर प्रदेश	11	4,617	1,082	3,535	76.56
चंडीगढ़	5	7,578	2580	4,998	65.95
मध्य प्रदेश	6	1395	766	629	45.09
जोड़	**117**	**39,17,677**	**2,84,785**	**36,32,892**	**92.73**

पांच राज्य यथा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में रोजगार की कुल कमी की 90 प्रतिशत बनती थी। इसके अतिरिक्त, सेज

में आईटी सेक्टर में कमी अधिक थी उसके बाद बहु उत्पाद सेक्टर में जैसा कि नीचे चित्र-4 में चित्रित है:

चित्र-4 रोजगार में सेक्टरवार कमी

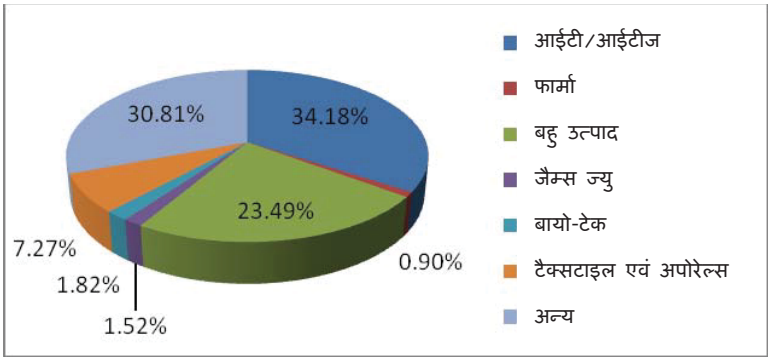

इस प्रकार, डेवलपर्स द्वारा अनुमानित और उद्योगों की सभी श्रेणियों में उपलब्ध कराए गए रोजगार में भारी अन्तर है। ऊपर डाटा से यह स्पष्ट है कि रोजगार सृजन की पद्धति में भी सभी सेक्टरों और राज्यों में एक रूपता नहीं है। अन्य ध्यान देने योग्य लक्ष्य है कि शहरी समूहों के सन्निकट सेज का केन्द्रण है परिणामतः जिले जो साक्षरता के उच्चतर स्तर से पहले ही उद्योगीकृत हैं में रोजगार सृजन हुआ। इस प्रकार, सेज को रोजगार सृजन का एक मार्ग होने का एमओसी एवं आई द्वारा जैसा दावा किया गया सही साबित नहीं हो सका।

निम्नलिखत दो मामले आन्ध्र प्रदेश में नोट की गई भयंकर कमियों का विश्लेषण करते हैं (बॉक्स-1)।

बॉक्स-1: रोजगार सृजन के लिए एमओयू की शर्तों का उल्लंघन

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भूमि के आबंटन पांच वर्षों के अन्दर 15000 लोगों के रोजगार उत्पन्न करने जो संशोधित 10,000 लोगो तक जीओ (फरवरी 2010) द्वारा शिथिल किया गया था, की शर्त के साथ एमओयू द्वारा जून 2007 में मैं. हैदराबाद जेम्स सेज को 80.93 हेक्टेयर जमीन का आबंटन किया। तथापि, मार्च 2013 तक कुल सृजित रोजगार मात्र 3835 अर्थात बचनबद्धता का 38.35 प्रतिशत था।

इसी प्रकार, मै. विप्रो गोपनपल्ली को अक्तूबर 2005 में 40.46 हेक्टेयर का आबंटन किया गया और उनसे 10,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन की अपेक्षा थी। तथापि, मार्च 2013 तक कुल सृजित रोजगार केवल अल्प 356 (3.6 प्रतिशत) था।

तथापि, किसी समर्थक प्रावधानों के अभाव में शर्तों के उल्लंघन के लिए डेवलपर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2.2.2 पुनर्स्थापना, पुनर्वास और रोजगार

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने जीओ एमएस सं. 68 दिनांक 8 अप्रैल 2005 द्वारा भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के कारण प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापना और पुनर्वास (आर एवं आर) नीति जारी की। नीति के अध्याय VI में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के लिए आर एवं आर लाभ अनुबद्ध है। जिसमें मुफ्त गृह स्थल, गृह निर्माण के लिए अनुदान/निर्वाह भत्ता आदि शामिल है।

एपीआईआईसी ने समन्वित सेज के विकास के लिए विशाखापत्तनम जिले के अच्युतापुरम, रामबिल्ली मंडलों में 2007-08 के दौरान 9287.70 एकड़ भूमि (6922.29 एकड़ पट्टा भूमि और 2365.41 एकड़ सरकारी/समनुदेशित भूमि) का अधिग्रहण किया। परियोजना विस्थापित परिवारों (पीडीएफ) के लिए डिब्वापलेम और वेदुरूवाड़ा गांवों में पुनर्स्थापना के लिए भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया था और पुनर्स्थापना पैकेज की लागत ₹ 106.21 करोड़ परिकलित की गई थी। 29 गांवों (अच्युतापुरम मंडल के 15 गांव और रामबिल्ली मंडल के 14 गांव) में 5079 परिवार प्रभावित हुए थे। यह देखा गया था कि केवल 1487 परिवार अब तक डिब्बापलेम को स्थानान्तरित किए जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रभावित लोगों के वयस्क विवाहित पुत्रों के लिए विकसित 4300 प्लाटों में से केवल 3880 आबंटित किए जा सके। वेदुरूवाड़ा में भी अब तक किसी प्लाट का आवंटन नहीं किया गया था।

अधिग्रहण के मूल्य और कुछ सेज में आवंटन के मूल्य के बीच अन्तर निम्नवत है:

सेज का नाम	अधिग्रहित जमीन का क्षेत्र (एकड़)	अधिग्रहण की अवधि	अधिग्रहण दर (₹ लाख/एकड़)	सेज प्रयोजन के लिए आवंटन का वर्ष	आवंटन दर/पट्टा प्रीमियम (₹ लाख/एकड़)	प्रति एकड़ अन्तर (अधिग्रहण का अधिकृतय घटऽए आवंटन का न्यूनतम)
फार्मा सेज जेडसेरिया	250	2005-06	0.55 से 1.80	2007 से 2010	7 से 35	5.20
अपसेज विज़ाग	5449	2001-08	2.95	2007 से 2013	30 से 52	27.05
श्रीसिटी सेज	3796	2007-11	2.5 से 3.5	2009 से 2013	12 से 14	8.50
जोड़	9495					

वाणिज्य पर संसदीय स्थाई समिति द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत " विशेष आर्थिक क्षेत्र' के कार्य पर तिरासिवी रिपोर्ट" (जून 2007 में) में पुनर्स्थापना और पुनर्वास (आर एवं आर) बिल 2007 के अपने नए मसौदा के माध्यम से इन कई मुद्दों का समाधान चाहा। तथापि, पीडीएफ/पीएएफ के रोजगार के लिए कोई कुशलता विकास हेतु नहीं है जिससे बहुत कम व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ। एक पृथक उत्तम व्यवहार को बॉक्स-2 में उजागर किया गया है।

बॉक्स 2: उत्तम व्यवहार-विज़ाग जिला प्रशासन द्वारा पीडीएफ/पीएफ के लिए कौशल प्रदान करने की पहल

जिला प्रशासन, विशाखापत्तनम ने रोजगार को सुकर बनाने के लिए पीडीएफ/पीएएफ से बेरोजगार सदस्यों के कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए "द विशाखा स्किल डेवलपमेंट सोसाईटी" को पंजीकृत किया। लेखापरीक्षा की अवधि (अगस्त 2013) तक 24 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था जिनमें 19 अभ्यर्थी सेज यूनिटों में नियुक्त हो गए।

आर्थिक प्रभाव

2.3 निवेशों में कमी

सेज विदेशी बहुराष्ट्रीय उद्यम को आकर्षित करने के लिए अभिप्रेत थे जिनका उत्प्रेरक प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया गया था। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने और विदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रबन्धन निपुणता के साधनों द्वारा आकर्षित करना था। सेज की स्थापना के लिए अनुमति हेतु आवेदन करते समय डेवलपर सेज में किए जाने वाले प्रस्तावित निवेश की मात्रा दर्शाता है। यह देखा गया कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 11 राज्यों में 79 डेवलपर्स/यूनिटों में अनुमानों (₹ 194662.52 करोड़) की तुलना में वास्तविक निवेश (₹ 80176.25 करोड़) अनुमानित राशि की अपेक्षा 58.81 प्रतिशत कम था। इसमें ₹ 2468.53 करोड़ (66.83 प्रतिशत) की राशि की एफडीआई में कमी शामिल है।

79 डवेलपर्स/यूनिटों के संबंध में किए गए निवेश में राज्यवार कीम आवेदन करते समय किए गए उनके अनुमानों और सरकार को उनके द्वारा प्रस्तुत

एपीआर्स/क्यूपीआरस में यथा चित्रित प्राप्त वास्तविक निवेशों के आधार पर तैयार की गई तुलना नीचे दर्शाई गई है:

राज्य	डेवलपर्स/यूनिटों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)			कमी (%)
		अनुमानित	वास्तविक	अन्तर	
आन्ध्र प्रदेश	28	45897.41	11511.59	34385.82	74.92
महाराष्ट्र	11	15433.86	4264.59	11169.27	72.36
तमिलनाडु	4	1913.18	1369.50	543.68	28.41
केरल	2	352.72	120.96	231.76	65.70
कर्नाटक	5	2700.34	1157.51	1542.83	57.13
ओडिसा	2	192.20	61.93	130.27	67.78
गुजरात	14	118962	58661.80	60300.20	50.68
राजस्थान	1	25.90	19.69	6.21	23.98
पश्चिम बंगाल	2	2773.88	874.57	1899.31	68.46
उत्तर प्रदेश	9	6146.03	1997.11	4148.92	67.51
चंडीगढ़	1	265.00	137.00	128.00	48.30
जोड़	79	194662.52	80176.25	114486.27	58.81

पांच राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात) ने निवेश की कुल गिरावट के 57 प्रतिशत का योगदान किया। मध्य प्रदेश के मामले में निवेश की कोई गिरावट नहीं नोटिस हुई।

एक महत्वपूर्ण चिंता है कि सेज अधिनियम में विनिर्माण और सेवा सेक्टरों में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए वकालत करने के बावजूद भारत सेज के विकास के लिए मुख्य अंशदाता आईटी/आईटीज सेक्टर रहा है। सेज में निवेश प्रमुख रूप से विनिर्माण क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए आईटी और आईटी समर्थक सेवाओं में केन्द्रित है। गत पांच वर्षों में एसटीपीआई यूनिटों से (45 प्रतिशत) सेज के लिए बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ था। इसलिए, बहु उत्पाद सेक्टर ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थित चयनित क्षेत्रों में निवेश में गिरावट 67 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके बाद आईटी सेक्टर में 26 प्रतिशत गिरावट हुई जैसा कि चित्र 5 में दिखाया गया।

चित्र 5: निवेश में सेक्टरवार गिरावट

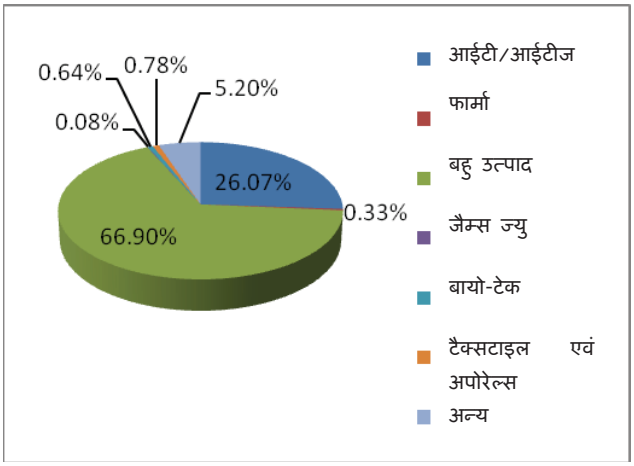

2.4 निर्यात

सेज की स्थापना को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत यंत्र के रूप में परिकल्पना की गई थी जो बढ़े हुए निर्यात के रूप में स्वयं परिलक्षित होता है क्योंकि कि सेज में स्थापित यूनिटों को अधिकांशत: निर्यात के लिए माल और सेवाओं का उत्पादन करना होता है। इसलिए निर्यात बढ़ा स्तर सेज की सफलता के लिए नाजुक है।

यह देखा गया कि 9 चयनित राज्यों में 84 डेवलपर्स/यूनिटों में अनुमानों (₹ 3,95,547.43 करोड़) की तुलना में वास्तविक निर्यात (₹ 1,00,579.70 करोड़) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अनुमानित राशि की अपेक्षा 74.57 प्रतिशत कम था। राज्यवार विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

राज्य	डेवलपर/यूनिटों की संख्या	निर्यात (₹ करोड़ में)			कमी (%)
		अनुमानित	वास्तविक	अन्तर	
आन्ध्र प्रदेश	18	1,84,592.72	11,415.50	1,73,177.22	93.81
महाराष्ट्र	18	55,135.78	13,865.56	41,270.22	74.85
तमिलनाडु	5	1,22,670.89	64,526.40	58,144.49	47.39
केरल	12	2,468.76	5,76.73	1,892.03	76.64
ओडिशा	2	4161	618.64	3542.36	85.13
राजस्थान	2	11000	2251.09	8748.91	79.54
उत्तर प्रदेश	12	6,984.15	3,202.33	3,781.82	54.15
चंडीगढ़	9	5,648.34	3,041.11	2,607.19	46.16

मध्य प्रदेश	6	2885.83	1082.34	1803.49	62.49
जोड़	84	395547.43	100579.70	294967.73	74.57

चार राज्य यथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान में निर्यात की कुल कमी 72.61 प्रतिशत बनती है।

बहु उत्पाद सेक्टर सेज में काफी कमी है (23.94 प्रतिशत) और फार्मास्यूटिकल सेक्टर सेज (22.17 प्रतिशत) में थी जो नीचे चित्र-6 में चित्रित है।

चित्र 6: निर्यात सेक्टरवार कमी

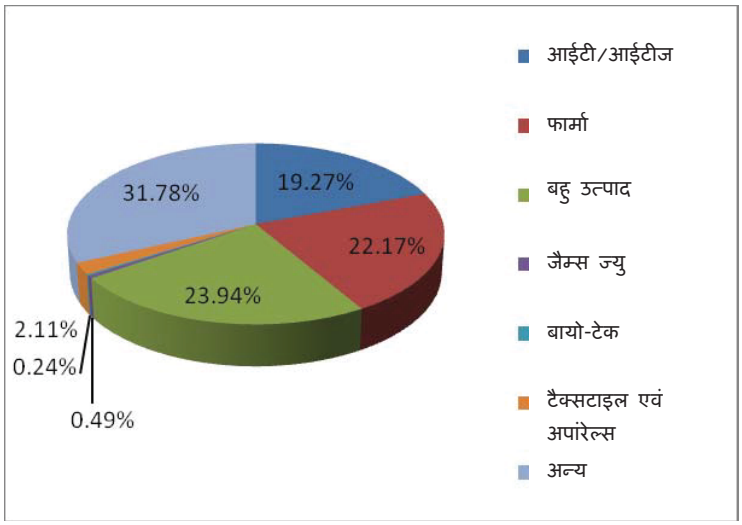

2.5 विदेशी मुद्रा अर्जन

निवल विदेशी मुद्रा का परिकलन उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचयी रूप से किया जाना है (नियम 53)। सेज से निर्यातोन्मुख होना एक मुख्य आशा है परन्तु इस संबंध में उन पर अधिरोपित एक अपेक्षा धनात्मक निवल विदेशी मुद्रा शेष रखना है जो क्षेत्र में औद्योगिक यूनिटों के लिए ही लागू है न कि सम्पूर्ण रूप से सेज के लिए। निर्यात का औसतन 15 प्रतिशत डीटीए में बेचा गया है और धीरे-धीरे बिक्री जो धनात्मक एनएफई के लिए गणना नहीं करनी है, डीटीए बिक्री का मूल्य धनात्मक एनएफई की गणना के लिए स्थान से लेता है। एनएफई का निगरानीन यूनिट के एपीआर्स के माध्यम से किया जाता है और इस पर एक रिपोर्ट आवधिक रूप से एमओसी एवं आई को भेजी जाती है। यह देखा गया कि 74

राज्य का नाम	सेज यूनिटों की संख्या	एनएफई (₹ करोड़ में)			कमी (%)
		अनुमानित	वास्तविक	अन्तर	
आंध्र प्रदेश	5	413.66	85.46	328.22	79.34
महाराष्ट्र	9	1302.52	800.18	502.34	38.56
तमिलनाडु	13	32069.18	4841.50	27227.67	84.90
केरल	8	495.54	257.68	237.86	48.00
कर्नाटक	3	3721.09	1228.58	2492.51	66.98
राजस्थान	5	109.42	68.16	41.26	37.71
पश्चिम बंगाल	6	240.27	46.27	194	80.83
उत्तर प्रदेश	13	3657.42	(-)321.50	3978.92	108.79
चंडीगढ़	8	4741.72	2144.74	2596.98	54.77
मध्य प्रदेश	4	1784.05	795.18	988.87	55.43
जोड़	74	48534.87	9946.26	38588.61	79.50

पांच राज्य यथा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में निवल विदेशी मुद्रा की कुल कमी का 97.87 प्रतिशत बनता था।

यद्यपि अनुमान कोई बाध्यता नहीं है तथापि, वे किसी यूनिट की सफलता/विफलता के निर्धारण के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे कि वर्तमान प्रचालन अभिप्रेत पैमाने के प्रचालनों के बराबर किए जा रहे थे, परिणामतः, कमी के लिए संभव कारणों को समझने हेतु प्रारम्भ की गई उपचारी कार्रवाई के संबंध में कोई प्रयास अभिलेख में नहीं थे। ताकि सेज की पूर्ण संभाव्यता महसूस की जा सके। कमियों के लिए सम्भव कारणों के समाधान के लिए किसी मॉनीटरिंग अथवा अध्ययन के अभाव में "अनुमानित आंकड़े" व्यर्थ बन जाते हैं।

तथापि, कुछ यूनिटें है जो अपनी आशाओं को पार कर गई थीं। आंध्र प्रदेश में ऐसे दो मामले बॉक्स-3 में दिए गए हैं:

बॉक्स-3: उत्कृष्ट निष्पादन

हैदराबाद में 2006 में अधिसूचित मैसर्स विप्रो लिमिटेड मनीकोंडा और मै.सीएमसी लि. गाचीबावली दोनो आईटी/आईटीज सेज साफ्टवेयर विकास में संव्यवहार करते है। उन्होंने सभी मायनों रोजगार और निवेश में 2012-13 की पांच वर्षों के लिए किए गए अपने अनुमानों से वास्तविकता में अधिक किया अर्थात् निर्यात, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

निर्यात, निवेश और रोजगार के संबंध में मैं. विप्रो मनीकोडा द्वारा किए गए अनुमानों में 415 प्रतिशत, 15.18 प्रतिशत 21.32 प्रतिशत तक वृद्धि थी।

इसी प्रकार, मै. सीएमसी गाचीबावली के मामले में निर्यात,निवेश और रोजगार के संबंध में

इस प्रकार एमओसी एवं आई द्वारा दावित सेज के अच्छे कुछ सेज में देखे जाने के बावजूद सामाजिक और आर्थिक प्राचलों, जब चयनित राज्यों में उनके परिकल्पित निष्पादन से तुलना की गई, के संबंध में उनके निष्पादन में कमियां देखी गईं। उपर्युक्त विश्लेषण के परिणामों से भी पता चलता है कि सेज से निवेश के अनुरूप वास्तविक लाभ अभी उपचित होना है।

डीओसी ने अपने उत्तर (जून 2014) में बताया कि सेज अधिनियम फरवरी 2006 में अधिसूचित किए गए थे तब से लगभग आठ वर्षों के अल्प अन्तराल में 566 सेज की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं, इनमें 388 अधिसूचित किए गए हैं और 2013-14 में कुल निर्यात, रोजगार और निवेश क्रमशः 2009-10 से 124, 155 और 100 प्रतिशत तक बढ़ गए है।

उत्तर उद्देश्यों के अपुरूप निष्पादन संकेतक निर्धारित करने और स्कीम का वास्तविक निष्पादन मापने के लिए सेज स्कीम के कार्य के बारे में मौन है।

सिफारिश: *एमओसी एवं आई सेज के उद्देश्यों और कार्य के अनुरूप मापनेयोग्य निष्पादन संकेतक निर्धारित कर सकता है ताकि नागरिकों और राज्यों के लिए वास्तविक सामाजिक आर्थिक लाभ उपचित हो सके।*